



भारतीय मानक ब्यूरो
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार
मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002



विज्ञापन संख्या 05(एमई)/2024/एचआरडी

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है और मानकीकरण, उत्पाद और पद्धति प्रमाणन, हॉलमार्किंग, प्रयोगशाला परीक्षण इत्यादि के क्षेत्र में गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण और प्रमाणन के लिए भी उत्तरदायी है।

2. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) **मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव (एमई)** की भर्ती अनुबंध के आधार पर करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। निम्नलिखित निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन का विवरण निम्न प्रकार है:-

श्रेणी	पदों की संख्या*	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता	कार्य अनुभव	ऊपरी आयु सीमा	पारिश्रमिक हर महीने
एस.सी.एम.डी./ आई.आर. एण्ड टी. आई.एस.डी.	4	एमबीए**	संबंधित क्षेत्र में 03 वर्ष का कार्य अनुभव।	45 वर्ष (आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार)	₹ 1.5 लाख प्रति माह
टी.एन.एम.डी.	1	मार्केटिंग में एमबीए** या मास कम्युनिकेशन में डिग्री	संबंधित क्षेत्र में 03 वर्ष का कार्य अनुभव।		
एन.आई.टी.एस.	1	इंजीनियरिंग स्नातक के साथ एमबीए**	संबंधित क्षेत्र में 05 वर्ष का कार्य अनुभव।		

* बीआईएस द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में पदों की संख्या भिन्न हो सकती है और/या बदली जा सकती है।

** अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नियमित एमबीए या 2 साल की अवधि के समकक्ष है।

3. योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और पारिश्रमिक, आदि:

उम्मीदवार को यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल वे उम्मीदवार जो चयनित होने पर ऑफर लेटर जारी होने के एक महीने के भीतर शामिल हो सकते हैं, उन्हें आवेदन करना चाहिए।

4. **चयन प्रक्रिया** : प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाएगी और उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। आवेदनों की जांच उनकी योग्यता, अनुभव और आवेदन पत्र में दिए गए अन्य विवरणों के आधार पर की जाएगी। जहां भी आवेदनों की संख्या अधिक हो, वहां अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग आवश्यक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर या बीआईएस द्वारा तय किए गए निर्णय के अनुसार की जा सकती है। केवल योग्यता की पूर्ति या शॉर्टलिस्टिंग मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त होने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। चयनित उम्मीदवारों को तकनीकी ज्ञान मूल्यांकन, साक्षात्कार आदि के लिए बुलाया जाएगा। बीआईएस के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

5. **कार्य का विषय-क्षेत्र:**

- मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव की नियुक्ति **अनुबंध-1** में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार बीआईएस के विभिन्न विभागों के लिए है।

- ii. बीआईएस निष्पादन और संगठनात्मक आवश्यकता के अधीन मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव की कार्यक्षमता को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बीआईएस संगठन में विभिन्न विभागों में जरूरतों और रिक्तियों के अनुसार उम्मीदवारों को तैनात करने के लिए प्राधिकृत है।
6. **नियुक्ति की अवधि:** यह नियुक्ति केवल दो साल की अवधि के लिए सेवा अनुबंध है और इसे एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
7. **नियुक्ति का स्वरूप:** यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर है और संविदा अवधि की समाप्ति पर यह समाप्त हो जाएगा।
8. **पारिश्रमिक:** मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव को 1.50 लाख रुपये (एक लाख और पचास हजार रुपये मात्र) के समेकित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। यह पारिश्रमिक सांविधिक कटौतियों के अधीन है। इसके अलावा, निष्पादन और समीक्षा को ध्यान में रखते हुए, समेकित मासिक पारिश्रमिक में 5% की वार्षिक वृद्धि होगी।
9. **यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता:** असाइनमेंट में शामिल होने या उसके पूरा होने पर कोई टीए/ डीए नहीं दिया जाएगा। यदि सरकारी असाइनमेंट के संबंध में यात्रा करने और ठहरने की आवश्यकता होती है तो वैज्ञानिक-बी स्तर के नियमित बीआईएस अधिकारी को दिए जाने वाले टीए/डीए और आवास भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
10. **अवकाश:** मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव एक वर्ष में बारह (12) दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। अनुमत अवकाश से अधिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा। साथ ही अप्रयुक्त छुट्टी को न तो अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जा सकेगा और न ही इसे भुनाया जा सकेगा।
11. **कार्य करने का समय:** मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव कार्यालय के सामान्य कार्य करने के घंटों का यथा निर्धारित (अर्थात प्रातः 9:00 बजे से सायं 5.30 बजे तक) पालन करेंगे। तथापि, अत्यावश्यकता के अनुसार समयबद्ध कार्य या बाहरी कार्यों को पूरा करने के लिए देर तक बैठना पड़ सकता है। बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी।
12. **अन्य विनियोजन नहीं:** यह पूर्णकालिक विनियोजन होगा और मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव बीआईएस में विनियोजन अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य नहीं करेगा।
13. **मृत्यु, चोट या बीमारी के लिए मुआवजा:** व्यक्तिगत मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव की मृत्यु, चोट या बीमारी की स्थिति में, जो अनुबंध की शर्तों के तहत बीआईएस की ओर से सेवाओं के निर्वहन के लिए जिम्मेदार है, और / या आधिकारिक इयूटी के लिए यात्रा करते समय, बीआईएस या भारत सरकार के किसी भी कार्यालय या परिसर में अनुबंध के तहत कोई भी सेवा करते समय, व्यक्तिगत मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव या उसके आश्रित किसी भी मुआवजे या किसी भी दावे के हकदार नहीं होंगे।
14. **मेडिकल फिटनेस और पुलिस सत्यापन:** मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव की नियुक्ति के बाद पुलिस सत्यापन किया जाएगा। कार्यभार ग्रहण के समय परामर्शक किसी अधिकृत/पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र भी जमा करेंगे।
15. **अनुबंध/विनियोजन की समाप्ति:** मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव की नियुक्ति बीआईएस द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए उन्हें 30 दिन का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। हालाँकि, यदि अधिकारी इस्तीफा देना चाहता है, तो उसे इस्तीफा देने से पहले 30 दिनों की अग्रिम सूचना या उसके एवज में पारिश्रमिक देना होगा।

16. डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता:

- (क) बीआईएस के लिए उत्पादित प्रदेय वस्तुओं के साथ-साथ एकत्र किए गए डेटा की बौद्धिक संपदा का अधिकार बीआईएस के पास रहेगा।
- (ख) बीआईएस में उसके असाइनमेंट के उद्देश्य से एकत्र किए गए डेटा या आंकड़े या जानकारी या कार्यवाही या रिकॉर्ड का कोई भी हिस्सा किसी तीसरे पक्ष के साथ उपयोग, प्रकाशित, प्रकट या साझा नहीं किया जाएगा।
- (ग) मैनेजमेंट एक्जिक्यूटिव अनुबंध की समाप्ति से पहले नियत कार्य के रिकॉर्ड के पूरे सेट को बीआईएस को सौंपने के लिए बाध्य है।
- (घ) मैनेजमेंट एक्जिक्यूटिव की नौकरी अत्यंत गोपनीय है और सभी स्तरों पर, अधिकारियों से सभी कार्यों में इसे बनाए रखने की उम्मीद रखी जाती है।

17. हितों का टकराव : नियुक्त मैनेजमेंट एक्जिक्यूटिव, बीआईएस के हितों के विपरीत किसी भी मामले में प्रतिनिधित्व, राय या सलाह नहीं देगा।

18. सेवा और शर्तें और सामान्य निदेश

- i) अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि, यदि विनियोजन के किसी भी चरण में, यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों ने कोई झूठी / काल्पनिक जानकारी / दस्तावेज जमा किए हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी और वह कानून / नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
- ii) अभ्यर्थियों के पास एक वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय/वैध रहना चाहिए। एक बार प्रस्तुत करने के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत या समाप्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- iii) अभ्यर्थी ध्यान दें कि नियुक्ति के सभी चरणों में उनकी अभ्यर्थिता पूरी तरह से संविदा आधार पर है।
- iv) यदि परिस्थितियां न्यायसंगत न हो, तो ब्यूरो किसी भी त्रुटि और चूक / विचलन के मामले में अधिसूचित रिक्तियों और इस विज्ञापन के किसी भी प्रावधान में संशोधन / परिवर्तन करने या विज्ञापन और नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- v) चेतावनी: ब्यूरो में चयन निःशुल्क, निष्पक्ष और योग्यता आधारित है। किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास सेवा से अभ्यर्थिता समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- vi) नियुक्ति की प्रक्रिया सहित इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद दिल्ली में स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

19. आवेदन जमा करना : अभ्यर्थियों को केवल बीआईएस वेबसाइट यानी www.bis.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों को बीआईएस वेबसाइट के माध्यम से 28.12.2024 से 17.01.2025 (अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन जमा करने का अन्य माध्यम/मोड स्वीकार नहीं

किया जाएगा। समय सीमा के बाद प्राप्त या किसी तकनीकी खराबी के कारण छूट गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कृपया me.hrd@bis.gov.in पर संपर्क करें।

20. आवेदन शुल्क: ₹ 1,000/- + जीएसटी

21. घोषणाएँ: इस प्रक्रिया से संबंधित समय-समय पर आगे की घोषणाएँ केवल बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण और अपडेट के लिए नियमित रूप से अधिकृत बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in देखें।

नोट: बीआईएस बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया और/या अपेक्षाओं को संशोधित/पुननिर्धारित/रद्द/निलंबित करने का अधिकारी सुरक्षित रखता है। बीआईएस का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।



दिनांक: 28.12.2024

स्थान: नई दिल्ली

प्रमुख (एचआरडी)
भारतीय मानक ब्यूरो

कार्यक्षेत्र

1. **राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) - पदस्थ निम्नलिखित में बीआईएस की सहायता करेगा:**
 - प्रशिक्षण नीति का निर्धारण करना।
 - प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण और अध्ययन सामग्री आदि का विकास।
 - सेवा क्षेत्रों में प्रक्षेत्र विशेषज्ञ की पहचान।
 - अन्य शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ नेटवर्किंग।
 - ऑनलाइन पाठ्यक्रम और मॉड्यूल का विकास।
 - उत्पादों के मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान।
 - ब्यूरो द्वारा सौंपा गया कोई अन्य संबंधित कार्य/गतिविधि।
2. **थीक नर्ज और मूव विभाग (टीएनएमडी) - पदस्थ निम्नलिखित मामलों में बीआईएस की सहायता करेगा:**
 - मानक संवर्धन से संबंधित मामलें
 - उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित मामलें
 - उपभोक्ता नीति सलाहकार समिति
 - बीआईएस गतिविधियों के प्रचार से संबंधित मामलें
 - पुरस्कार और मान्यता योजना
 - आईएसओ सीओपीओएलसीओ की नेशनल मीरर कमेटी (मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपभोक्ता नीति पर समिति) और आईएसओ (आईएसओ पीसी 303 और आईएसओ पीसी 311) की अन्य तकनीकी/परियोजना समिति से संबंधित कार्य
 - ब्यूरो द्वारा सौंपा गया कोई अन्य संबंधित कार्य/गतिविधि।
3. **मानक समन्वय और निगरानी विभाग (एससीएमडी)- पदस्थ निम्नलिखित मामलों में बीआईएस की सहायता करेगा:**
 - शैक्षिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों को लागू करने और मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग के लिए उन्हें संचालित करने, उनके पाठ्यक्रम में मानकों के एकीकरण के माध्यम से मानकों के शैक्षिक उपयोग, अतिथि व्याख्यान और स्थापना और संचालन / मानकीकरण पदों की निगरानी सहित मानकों के शैक्षिक आउटरीच के लिए कार्य योजना तैयार करना और कार्यान्वित करना
 - अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, उद्योग/उद्योग संघों, अनुसंधान एवं विकास निकायों के साथ बातचीत, मानक विकास संगठनों (एसडीओ) के साथ समन्वय और मान्यता/मान्यता सहित मानकीकरण से संबंधित मामलों पर बीआईएस और अन्य हितधारकों के तकनीकी विभागों के साथ समन्वय।
 - ब्यूरो द्वारा सौंपा गया कोई अन्य संबंधित कार्य/गतिविधि।

4. अंतर्राष्ट्रीय, संबंध तकनीकी सूचना सेवा विभाग (आई.आर. एण्ड टी.आई.एस.डी.) - पदधारी बीआईएस की सहायता करेगा:

- अन्य देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों (एनएसबी) और मानक विकास संगठनों (एसडीओ) से संबंधित मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन संबंधी पहलुओं का अध्ययन, और आवश्यक समझे जाने पर आवश्यक संवाद करना,
- मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग समझौतों (बीसीए) के संचालन के लिए द्विपक्षीय व्यापार संबंधी पहलुओं का अध्ययन और भारत की सरकार द्वारा पहचाने गए राष्ट्रों के साथ बीसीए/पारस्परिक मान्यता समझौतों (एमआरए) के कार्यान्वयन।
- व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन समिति (टीबीटी समिति) के समक्ष डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा उठाए गए विशिष्ट व्यापार चिंताओं (एसटीसी) का अध्ययन, और इनपुट तैयार करने के लिए उपयुक्त हितधारकों के साथ परामर्श,
- अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों से संबंधित नीति संबंधी दस्तावेजों से संबंधित मुद्दों की जांच और बीआईएस विभागों के साथ परामर्श के आधार पर प्रक्षेपण के लिए दृष्टिकोण को आत्मसात करना,
- समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के कार्यान्वयन के लिए और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ आगे सहयोग के लिए क्षेत्रों की खोज के लिए आवश्यक कार्रवाई करना,
- विदेशों में भारतीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए एनएसबी के साथ जुड़ाव, नए कार्य क्षेत्रों के लिए भारतीय प्रस्तावों पर समर्थन मांगना और नए पदों को प्राप्त करने के लिए, और अन्य मामलों के लिए उपयुक्त समझा जाता है,
- नियमित संवाद के माध्यम से विकासशील और विकसित देशों के एनएसबी के साथ सहयोग को मजबूत और गहरा करना,
- हितधारकों के परामर्श से मानकीकरण के लिए रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान जहां भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर सकता है,
- बीआईएस युवा मानकीकरण कार्यक्रम और बीआईएस युवा पेशेवर कार्यक्रम,
- इच्छुक पार्टियों/आवेदकों को सूचना और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी सूचना सेवाओं से संबंधित कार्य,
- आईएसओ वैश्विक निर्देशिका और आईईसी विशेषज्ञ प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की निगरानी और अद्यतन, और
- ब्यूरो द्वारा सौंपा गया कोई अन्य संबंधित कार्य/गतिविधि।